प्रेषक,

तहसीलदार,
नैनबाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

द्वारा : उपजिलाधिकारी महोदया, नैनबाग, टिहरी गढ़वाल।

संख्या: 135 /र0का0(भूमि चयन)–19, नैनबाग दिनांक फरवरी, 11, 2019

विषय : प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना हेतु वनभूमि अधिग्रहण के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि के चयन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–676/नि0स0/2018, दिनांक 15–11–2018 एवं अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश के पत्रांक 1866/अ.पु. ख.ऋ./2018, दिनांक 03–12–2018 पर महोदया जी के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 27–11–2018 के क्रम में प्रस्तावित सौंग बॉध पेयजल परियोजना के लिए वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 360.00 है0 भूमि चिन्हीकरण के सम्बन्ध में तहसील, नैनबाग के अन्तर्गत राजस्व उपनिरीक्षकों से आख्या/प्रस्ताव लिये गये हैं। राजस्व उपनिरीक्षकों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में वन विभाग एवं सिंचाई विभाग, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश कार्मिकों के साथ उपलब्ध सिविल सोयम भूमि का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं।

चिन्हित भूमि उत्तराखण्ड सरकार के नाम श्रेणी 9(3)ड़ (बंजर) के रुप में दर्ज है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध चयनित भूमि (है0 में)	विवरण
01	बसाणगॉव	घियाकोटी	10.823	
		खासकोटी	18.514	
		बमणगॉव	7.623	
		खसहौंसी	8.760	
		बिष्टोंसी	18.819	
		ऐन्दी	14.760	
		बसाणगॉव	10.589	
02	नैनबाग	सणव	27.310	
		मौगी	35.702	
	खरसोन	बणगॉव	16.008	
		जैद्वार तल्ला	25.000	
03	बिरोड़	बिरोड़	14.777	
04	मुनोगी	भुटगॉव	48.668	
		योग	257.322	

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में टिहरी बॉध परियोजना के पात्र विस्थापितों के पुनर्वास हेतु आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश में अधिग्रहित वनभूमि एवं पशुपालन विभाग, ऋषिकेश की अधिग्रहित भूमि के एवज़ में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम भुटगॉव में 79.000 है0 तथा ग्राम टिंगरी चक में 29.000 है0 भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसके प्रस्ताव निरस्त हुए हैं। पूर्व प्रस्तावित भूमि एवं वर्तमान में चिन्हित भूमि को सम्मिलित कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 365.00 है0 भूमि चिन्हित की गई है।

अतः उपलब्ध चयनित भूमि के प्रस्ताव संलग्न कर संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्न-4986,

तहसीलदार,
नैनबाग।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किये जाने हेतु, वन भूमि अनुपलब्धता के सम्बन्ध में

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग की सौंग बॉध पेयजल परियोजना हेतु प्रस्तावित 127.6712 है0 वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु, वांछित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण भूमि जो 127.6712 है0 है। वनभूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में 256 है0 सिविल सोयम भूमि में प्रस्तावित किया जाता है। यह भूमि टिहरी गढ़वाल जिले के नैनबाग तहसील में स्थित है। चूंकि सौंग परियोजना देहरादून जिले की पेयजल समस्या के दीर्घ अवधि निराकरण हेतु प्रस्तावित की गई है। अतः सिविल सोयम भूमि में ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जा सकता है।

सचिव
सिंचाई
उत्तराखण्ड सरकार

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव, सिंचाई, लघु सिंचाई,
खेल एवं युवा कल्याण
उत्तराखण्ड शासन